रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2000/फाल्गुन 11, 1921
No. 132] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2000/PHALGUNA 11, 1921

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2000

सा. का. नि. 212(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल यात्री (टिकट का रद्दकरण और किराये का प्रतिदाय) नियम, 1998 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल यात्री (टिकट का रद्दकरण और किराये का प्रतिदाय) दूसरा संशोधन, नियम, 2000 है।

(2) ये 1 मार्च, 2000 को प्रवृत्त होंगे।

2. रेल यात्री (टिकट का रद्दकरण और किराये का प्रतिदाय) नियम, 1998 के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8. बहुउद्देशीय यात्रा टिकट का रद्दकरण प्रभार—जब कोई अप्रयुक्त टिकट, जिस पर एक से अधिक यात्राएं की जानी है, रद्दकरण के लिए प्रस्तुत की जाती है, तब संपूर्ण टिकट को एक एकल यात्रा टिकट के रूप में माना जाएगा और यात्रा के विभिन्न चरणों पर आरक्षण की स्थिति पर ध्यान न देते हुए संपूर्ण टिकट का प्रतिदाय यात्रा के प्रथम चरण पर आरक्षण की स्थिति के अनुसार निम्न प्रकार से किया जाएगा :—

(i) यदि यात्रा के प्रथम चरण की आरक्षण की स्थिति पुष्ट है तो प्रतिदाय नियम 6 के अनुसार किया जाएगा, और

(ii) यदि यात्रा के प्रथम चरण की आरक्षण की स्थिति आर.ए.सी. या प्रतिक्षा सूची है तो प्रतिदाय नियम 7 के अनुसार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :—रद्दकरण प्रभार या लिपिकीय प्रभार टिकट की संपूर्ण रकम पर एक बार उदगृहित किया जाएगा न कि यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए पृथक रूप से।"।

[फा. सं. टी सी II/2003/98/नियम]

मणि आनन्द, निदेशक, यात्री विपणन

पाद टिप्पण :—मूल नियम सा. का. नि. सं. 410(अ) तारीख 24 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें और संशोधन सा. का. नि. सं. 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 2000 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2000

G.S.R. 212(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with clause (b) of Sub-section (2) of Section 60 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Passengers (Cancellation of ticket and refund of fare) Rules, 1998, namely :—

1. (1) These rules may be called Railway passengers (Canccllation of ticket and refund of fare) Second Amendment Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the 1st day of March, 2000.

2. In the Railway Passengers (Cancellation of ticket and refund of fare) Rules, 1998, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely :—

"8. Cancellation charges on multiple journey tickets.—When an unused ticket involving more than one journey is surrendered for cancellation, the entire ticket shall be treated as one single journey ticket and refund of fare of the entire ticket, irrespective of reservation status of different laps of journeys, shall be granted as per reservation status of first lap of journey, as under :—

(i) if reservation status of first lap of journey is confirmed, refund shall be granted in accordance with rule 6; and

(ii) if reservation status of first lap of journey is RAC or waiting list, refund shall be granted in accordance with rule 7.

Explanation.—The cancellation charges or clerkage shall be levied only once on the entire amount of ticket and not separately for each lap of journey.".

[File No. TC II/2003/98/Rules]

MANI ANAND, Director, Passenger Marketing

FOOTNOTE :— The principle rules were published vide number G.S.R. 410(E), dated the 24th July, 1998 and further amended vide number G.S.R. 1(E), dated the 1st January, 2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—2000.